राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(5)ग्राविवि/इ.आ./जिला/2012–13 जयपुर, दिनांक 25 जून, 2013

जिला कलेक्टर,
बांरा, भीलवाडा, बून्दी, हनुमानगढ़,
दौसा, जालौर, करौली, पाली, प्रतापगढ़,
राजसमन्द, सं. माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर राजस्थान।

विषय :– विशेषकर वंचित जनजाति समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में जनजाति के अधिक संख्या में प्रतीक्षारत परिवार इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध होने के कारण भारत सरकार से ऐसे परिवारों हेतु अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया था (प्रति संलग्न)। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्त में 43131 आवासों का अतिरक्ति लक्ष्य राज्य को आंवटित किया गया (प्रति संलग्न)

भारत सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य विशेषकर वंचित जनजाति समूह के लिए आवंटित किये गये है। उक्त योजना अन्तर्गत ऐसे जनजाति के परिवार जिनके पास आवास निर्माण हेतु भूमि नहीं है, अर्थात भूमिहीन है, न ही रहने के लिए आवासीय सुविधा है, अर्थात समूह के रूप में बिखरे है एवं घुमन्तु परिवारों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को PVTG माना गया है।

उक्त ऐसे चयनित पात्र बीपीएल परिवार जिनका नाम इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में हैं, को वरीयता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराकर इन्दिरा आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। उक्त परिवारों को वरीयता के आधार पर योजना का लाभ देने हेतु सार्वजनिक भूमि चिन्हित कर/अधिग्रहण कर उपलब्ध कराई जावे, ताकि उक्त परिवार आवास निर्माण कर अपना स्थिर जीवन यापन कर सकें।

उक्त योजनान्तर्गत 01.04.2013 से प्रति इकाई अनुदान सहायता राशि 70,000/– रूपये स्वीकृत की जावेगी। इस हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रति इकाई लागत 70000/– रूपये स्वीकृत नहीं की जाती है, तो शेष अनुदान सहायता राशि (70000–45000) 25000/– रूपये हडको से ऋण लेकर लाभार्थियों को स्वीकृत की जावेगी। अनुदान राशि स्वीकृति के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक आवंटित लक्ष्य अनुसार आवेदन तैयार कर MIS का कार्य अभियान के दौरान सम्पादित किया जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

25/06/13
(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(ग्रावि)

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बांरा, भीलवाड़ा, बून्दी, हनुमानगढ़, दौसा, जालौर, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, स. माधोपुर, टोंक, एवं उदयपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. प्रभारी अधिकारी, (इन्दिरा आवास योजना) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बांरा, भीलवाड़ा, बून्दी, हनुमानगढ़, दौसा, जालौर, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, स. माधोपुर, टोंक, एवं उदयपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

23/08/13
अधीक्षण अभियन्ता(ग्रावि)